अध्याय V
राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

अध्याय V

राज्य के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

शिक्षा की गुणवत्ता बहुत से कारकों जैसे शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षण तकनीक और सहायता (aids), पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, सीखने के लिए वातावरण इत्यादि पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में मार्च 2016 की स्थिति में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 1.14 लाख शासकीय विद्यालय थे। विद्यालय में सीखना उच्च गुणवत्ता का हो सकता है यदि समुचित अधोसंरचना द्वारा संरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए और प्रगति नियमित रूप से मूल्यांकित की जाए। आगे, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, विद्यालय में छात्रों का प्रतिधारण और उनकी नियमित सहभागिता भी सुनिश्चित करती है।

5.1 विद्यालयों में अधोसंरचना

आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत मान एवं मानकों के अनुसार विद्यालय के लिए सभी मौसम वाले भवन जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह–भंडार सह–प्रधान अध्यापक कक्ष सुनिश्चित किया जाना था। विद्यालय की अन्य अधोसंरचनात्मक आवश्यकताएं लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बच्चों के लिए स्वच्छ पेय जल सुविधा, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाना है, वहां एक रसोईघर, पुस्तकालय, खेल का मैदान और बाउण्ड्रीवाल एवं फेन्सिग द्वारा विद्यालय की सुरक्षा करने के लिये व्यवस्थाएं हैं।

आर.टी.ई अधिनियम की धारा 19(2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि जहां इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व स्थापित कोई विद्यालय अधिनियम में विनिर्दिष्ट मान एवं मानकों को पूरा नहीं करता है, वहां वह इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अर्थात मार्च 2013 तक ऐसे मान एवं मानकों को पूरा करने के लिए कदम उठाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि मार्च 2013 तक, राज्य के शासकीय विद्यालयों में अपेक्षित आवश्यकताएं सुनिश्चित नहीं की गई थीं। 2012–13 और 2015–16 के मध्य, शासकीय विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक सुविधाएं बेहतर हुई थीं। तथापि, अब भी अधिक संख्या में विद्यालय, आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत मान एवं मानकों के अनुसार निर्धारित अधोसंरचना के बिना थे, जैसा कि **तालिका 5.1** में दर्शित है:–

तालिका : 5.1 राज्य में निर्धारित अधोसंरचना के बिना शासकीय विद्यालय

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	राज्य में विद्यालयों की कुल संख्या	आवश्यक सुविधाओं के बिना विद्यालयों की संख्या (प्रतिशत)							
		प्रधानाध्यापक के लिए कक्ष	लड़कों के लिए पृथक शौचालय	लड़कियों के लिए पृथक शौचालय	दोपहर के भोजन के लिए रसोईघर	पेय जल	खेल का मैदान	पुस्तकालय	बाउण्ड्रीवाल
2012–13	112404	72389 (64)	16189(14)	11001(10)	55(0.05)	5150(5)	55627(50)	31710(28)	72703(65)
2015–16	114255	64278(56)	7180(6)	5945(6)	14564(13)	5176(5)	44754(39)	10763(9)	53345(47)

(स्रोतः यू–डाइस)

नमूना जांच किये गए जिलों के, 390 चयनित विद्यालयों में पाई गई अधोसंरचनात्मक सुविधाओं में कमियां ***परिशिष्ट 5.1 और 5.2*** में वर्णित है, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

राज्य के शासकीय विद्यालयों में, आधारभूत अधोसंरचना के लिए अधिनियम में निर्धारित मान एवं मानकों का पालन नहीं किया गया।

70 विद्यालयों में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और एक कार्यालय सह प्रधान अध्यापक का कक्ष नहीं पाया गया। 51 विद्यालयों के विद्यालय भवन सही स्थिति में नहीं थे। 43 विद्यालयों के लिए, विद्यालय पहुंचने के लिए उचित सीमांकित पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं था। 145 विद्यालयों में किचिन शेड नहीं था। 234 विद्यालयों में, बाधामुक्त पहुंच नहीं थी। 208 विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल/फेन्सिंग उपलब्ध नहीं थी।

- 78 विद्यालयों में लड़कों एवं लड़कियों के लिए पृथक शौचालय नहीं था। 37 विद्यालयों में शौचालय उपयोग करने की स्थिति में नहीं था। 332 विद्यालयों में दिव्यांग अनुकूल शौचालय नहीं था।

- 37 विद्यालयों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं था। 105 विद्यालयों में खेल का मैदान नहीं था। 133 विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 295 विद्यालयों में डेस्क उपलब्ध नहीं थे और छात्र इन विद्यालयों में चटाई पर बैठ रहे थे।

भ्रमण किए गए विद्यालयों में, अधोसंरचना सुविधाओं की स्थिति, **चार्ट 5.1** में सारांशीकृत है :

चार्टः 5.1 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में अद्योसंरचना सुविधाए

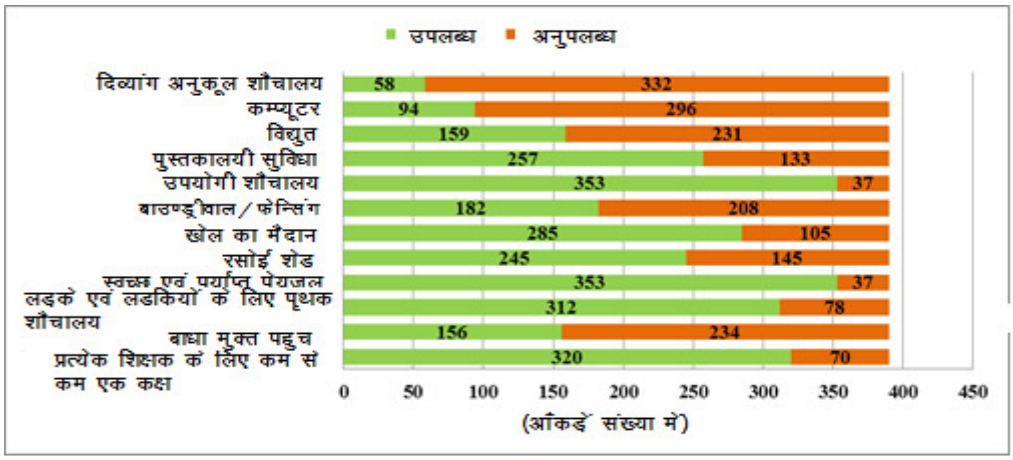

स्त्रोतः–चयनित विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

विद्यालयों में शौचालय का कार्यात्मक स्थिति में न होना	
शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सातोद, खाखनार, बुरहानपुर	**शासकीय माध्यमिक विद्यालय, चंदरौल, भाण्डेर, दतिया**

बिना बाउण्ड्रीवाल/फेन्सिग के सड़क किनारे अवस्थित विद्यालय

शासकीय प्राथमिक विद्यालय, सातोद, खेड़ी, झाबुआ

शासकीय प्राथमिक विद्यालय, गेलार बाड़ी, झाबुआ

अध्ययन प्रकरणः शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जमुनियाकलॉ, फण्दा ग्रामीण, भोपाल

शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जमुनियाकलां, फण्दा ग्रामीण, भोपाल का विद्यालय भवन पिछले पांच वर्षों से जीर्णशीर्ण स्थिति में था। वर्ष 2012–13 में लडकों एवं लडकियों दोनों के लिए निर्मित शौचालय अक्रियाशील थे। विद्यालय के प्रधान अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति (एस.एम.सी) ने विद्यालय की स्थिति के बारे में डी.पी.सी.को सूचित किया था (जून 2013) और बाद में डी.ई.ओ. और बी.आर.सी.सी. को सूचना दी गई थी। माध्यमिक विद्यालय की अधोसरंचना फोटोग्राफस में दर्शित है :–

माध्यमिक विद्यालय जमुनियाकलां का विद्यालय भवन

माध्यमिक विद्यालय, जमुनियाकलां के बालिका शौचालय की स्थिति

जमुनियाकलां के बालकों के शौचालय की स्थिति

उच्च विद्यालय, जमुनियाकलां का भवन, जहॉ माध्यमिक विद्यालय को स्थानांतरित किया गया

अगस्त 2015 से डी.ई.ओ. भोपाल के आदेशानुसार माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल जमुनियाकलां के भवन में चल रहा था। लेखापरीक्षा दल के विद्यालय के दौरे के दौरान यह

पाया गया कि छह से आठ तक की कक्षाएं, एक ही अध्ययन कक्ष में, सुबह पाली में प्रातः सात बजे से अपरान्ह एक बजे तक चल रही थी। हाईस्कूल उसी भवन में प्रातः दस बजे से सांय 5 बजे तक चल रहा था। हाईस्कूल भवन में पेय–जल और शौचालय की समस्या थी। आगे, जैसा कि प्रधान अध्यापक द्वारा बी.आर.सी.सी. को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2015) था, कक्षाओं की बुरी स्थिति और विद्यालय के दुर्गम पहुंच के कारण, हाईस्कूल भवन में कक्षाएं चलाना, बालकों के लिए सुरक्षित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि जिलाधीश को माध्यमिक विद्यालय जमुनियाकलां के लड़कों एवं लड़कियों के शौचालयों को उपयोग करने की स्थिति में लाने के लिए तथा विद्यालय भवन की मरम्मत का प्राक्कलन तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे (नवम्बर 2016)।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच किए गए 283 विद्यालयों (1,274 विद्यार्थी) में किए गए हितग्राही सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि 43 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पुस्तकालय की सुविधा का उपयोग नहीं किया, 22 प्रतिशत विद्यार्थी खेल के मैदान से संतुष्ट नहीं थे, सात प्रतिशत विद्यार्थियों ने बताया था की कि पेयजल की सुविधा पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं थी और 15 प्रतिशत विद्यार्थियों ने उनके विद्यालय के शौचालय को उपयोग करने की स्थिति में नहीं पाया। डी.पी.सी ने बताया कि आवश्यक सुविधाएं निधियों की अनुपलब्धता के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति एवं उपलब्ध निधियों के अनुरूप निर्माण कार्य कराए गए थे। अस्वीकृत निर्माण–कार्य, अगली कार्य–योजना में भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ी, झाबुआ और शासकीय न्यू माध्यमिक विद्यालय, गेलार बदी झाबुआ के लिए बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का प्रस्ताव आगामी कार्य–आयोजना में भारत सरकार को भेजा जाएगा।

तथ्य यह है कि विभाग, आर.टी.ई अधिनियम के तहत निर्धारित विद्यालय अधोसंरचना की उपलब्धता, विद्यालयों में ऐसी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट समयावधि में अर्थात् मार्च 2013 तक, सुनिश्चित नहीं कर सका और विद्यालयों में मार्च 2016 तक भी इन सुविधाओं की कमी थी।

5.2 विद्यालय भवन और कक्षाओं की उपलब्धता

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि राज्य में, 1.14 लाख शासकीय प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 1.12 लाख विद्यालय स्वयं की भवन में चल रहे थे और शेष विद्यालय किराये के भवन एवं अन्य भवनों में चल रहे थे। आगे, 32,825 विद्यालय भवनों को लघु मरम्मत की आवश्यकता थी और 18,267 विद्यालय भवनों को बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी।

5.2.1 प्रतिकूल छात्र–कक्षा अनुपात

मार्च 2016 तक, 12,769 प्राथमिक विद्यालयों और 10,218 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिकूल छात्र–कक्षा अनुपात का पता चला।

आर.टी.ई. अधिनियम और सर्व शिक्षा अभियान मान के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा प्रदान की जानी थी और प्राथमिक विद्यालय में 30 विद्यार्थी प्रति कक्षा और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 35 विद्यार्थी प्रति कक्षा, छात्र–कक्षा अनुपात (एस.सी.आर.) बनाया रखा जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में वर्ष 2010–16 के दौरान, 12,769 (2015–16) से 37,387 (2010–11) प्राथमिक विद्यालयों में और 10,218 (2015–16) से 14,669 (2011–12) उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिकूल छात्र–कक्षा अनुपात परिलक्षित हुआ। आगे, मार्च 2016 की स्थिति में, 4,149 विद्यालयों के पास केवल एक ही कक्षा थी। नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, 2015–16 के दौरान, 390 विद्यालयों में से 83 विद्यालयों में, छात्र–कक्षा अनुपात नहीं बनाए रखा गया था।

5.2.2 विद्यालय भवन का निर्माण और अन्य अधोसंरचना की स्थिति

राज्य शिक्षा केंद्र ने ए.डब्लू.पी. एण्ड बी. में निर्माण कार्यों अनुमोदन के बाद विद्यालयों में निर्माण कार्य की प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। कुछ निर्माण कार्यों में आर.एस.के. के निर्देशानुसार तकनीकी स्वीकृति जिला स्तर पर प्रदान की गई थी। निर्माण कार्यों के लिए आर.एस.के. द्वारा डी.पी.सी को निधियाँ जारी की गईं थीं, जिन्होंने निर्माण एजेंसियों–ग्राम पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को निर्माण कार्यों के लिए निधियाँ जारी की थी। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए डी.पी.सी से अपेक्षित था कि वे निर्माण कार्यों की प्रगति की शिक्षा पोर्टल पर प्रविष्टि करेंगे। राज्य स्तर पर निर्माण कार्यों की स्थिति जैसे कि भवन निर्माण कार्य, अतिरिक्त कक्षाएं, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि और अपूर्ण कार्यों का कार्यवार विवरण **तालिका 5.2** और **तालिका 5.3** में दर्शित है :–

तालिका 5.2 : मार्च 2016 की स्थिति में निर्माण कार्यों की पूर्णता की स्थिति

(आंकड़ें संख्या में)

वर्ष	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कार्यो की संख्या जो शुरू नहीं हुए	लंबित कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जिसमें पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए
2001–02 से 2009–10	1,47,291	5,175	418	32	2,712
2010–11 से 2015–16	1,26,229	9,479	342	5	1,738
योग	**2,73,520**	**14,654**	**760**	**37**	**4,450**

(स्त्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

तालिका 5.3 :मार्च 2016 की स्थिति में अपूर्ण निर्माण कार्यों का विवरण

(आंकड़े संख्या में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत कार्यों की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	कार्य जो आरंभ नहीं हुए	लंबित कार्यों की संख्या	कार्यों की संख्या जिसमें पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अतिरिक्त कक्ष (प्रा.वि./उ.प्रा.वि /प्रधान अध्यापक–प्रा.वि. और उ.प्रा.वि)	1,42,133	10,915	523	21	1,779
2	विद्यालय भवन (उच्च प्रा. विद्यालय)	20,226	1,770	39	0	325
3	विद्यालय भवन (प्रा. वि.)	26,864	1,006	28	4	251
4	शौचालय (बालिका/ प्रा. वि./उ.प्रा.वि.)	66,620	257	42	2	1,299

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	पेय जल (प्रा.वि/उ.प्रा.वि.)	5,712	114	62	9	647
6	बाउण्ड्रीवाल	6,496	547	46	0	47
7	रसोई शेड	5380	45	20	1	93
8	ब्लॉक संसाधन केंद्र भवन	32	0	0	0	5
9	के.जी.बी. वी. छात्रावास	57	0	0	0	4
योग		**2,73,520**	**14,654**	**760**	**37**	**4,450**

जैसा कि तालिका 5.2 और 5.3 से स्पष्ट है विद्यालयों में बड़ी संख्या में अनुमोदित निर्माण कार्य अपूर्ण थे। वर्ष 2001–16 के दौरान, 2.74 लाख स्वीकृत निर्माण कार्यों में से, 14,654 निर्माण कार्य अपूर्ण थे, जिसमें 2,776 विद्यालय भवन का निर्माण, 10,915 अतिरिक्त कक्षाएं और 547 बाउण्ड्रीवाल का निर्माण शामिल थे। 4,450 पूर्ण कार्यों के मामलों में निर्माण कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे जिनमें से कि 2,712 कार्य वर्ष 2001–10 की अवधि के थे।

मार्च 2016 की स्थिति में, 11 नमूना जांच किए गए जिलों मे, 2,721 निर्माण कार्य, जिनके लिए डी.पी.सी को ₹ 55.81 करोड़ जारी किए गए थे, अपूर्ण थे। इन अपूर्ण कार्यों में, 707 विद्यालय भवन, 1,709 अतिरिक्त कक्षाएं और 358 बालिकाओं के लिए शौचालय का निर्माण सम्मिलित था। नमूना जांच किए गए जिलों में निर्माण कार्यों के निर्माण की स्थिति का विवरण ***परिशिष्टों 5.3 और 5.4*** में वर्णित है। 2004–16 के दौरान नौ जिलों में, निर्माण एजेंसियों द्वारा ₹ 18.53 करोड़ की लागत के 1,100 कार्यों के लिए कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे। आगे, दस जिलों में, 423 कार्य जिनके लिए 2001–15 के दौरान ₹ 3.77 करोड़ जारी किए गए थे, आरंभ नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर.एस.के. और डी.पी.सी. द्वारा निर्माण कार्यों की निगरानी में कमी थी। विद्यालयों में निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षा पोर्टल एक मात्र माध्यम था। परन्तु, डी.पी.सी द्वारा शिक्षा पोर्टल पर संबंधित जानकारी अद्यतन नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2011–16 के दौरान आर. एस.के ने 85,563 कार्यों के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए थे, जबकि शिक्षा पोर्टल पर मात्र 83,631 कार्यों की स्वीकृति दर्शायी गई थी। जारी की गई राशि, कार्यो पर हुए व्यय और कार्यों की स्वीकृत लागत का विवरण भी शिक्षा पोर्टल पर नहीं था।

पी.ए.बी. ने 162वीं बैठक (अप्रैल 2011) में पंचायत को निर्माण कार्य सौंपने की समीक्षा और निर्माण कार्यों के निष्पादन की गति और कार्यों की गुणवत्ता में आई कमी को भी ध्यान में रखते हुए, इस कार्य में एस.एम.सी को सम्मिलित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए राज्य को निर्देशित किया था। एस.एम.सी को निर्माण कार्य हस्तांतरित करने के विषय को राज्य सरकार के साथ विवेचित करने का भी सुझाव दिया गया था क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नए एस.एम.सी बनाए जा रहे थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एजेंसी को बदलने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि वास्तविक स्वीकृत निर्माण कार्यों और पोर्टल पर दर्शाए गए कार्यों में विसंगति का कारण जिलों द्वारा पोर्टल पर कार्यो को अद्यतन नहीं किया गया था जिसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए थे (सितंबर 2016)। अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए, संभागवार मासिक समीक्षा बैठकें

आयोजित की जा रही थीं। जिलों में जो कार्य आरंभ नहीं हुए थे उन्हे निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

5.2.3 निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गई निधियों का अनियमित आहरण

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के अंतर्गत विद्यालयों में निर्माण कार्यों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों (सितंबर 2005) के अनुसार, जिला शिक्षा केन्द्र को निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायतों को तीन किस्तों में निधियाँ जारी करनी थी। निर्माण लागत का 50 प्रतिशत पहली किस्त के रूप में, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य के लिए खोले गए संबंधित ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में प्रदान किया जाना था। 35 प्रतिशत की दूसरी किस्त, पहली किस्त के उपयोग होने और उप–अभियंता द्वारा कार्य के मूल्यांकन के बाद जारी की जानी थी। शेष 15 प्रतिशत की तीसरी किस्त, दूसरी किस्त के उपयोग होने और उप–अभियंता द्वारा कार्य के मूल्यांकन के बाद जारी की जानी थी। संबंधित ग्राम पंचायत कार्य को आरंभ करने और अनुबंधित समय के भीतर पूरा करने के लिए उत्तरदायी थी।

निर्माण कार्यों के मूल्यांकन को सुनिश्चित किए बगैर, निर्माण एजेंसियों को निधि जारी करने के फलस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ का अधिक आहरण हुआ।

आगे, पुनरीक्षित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार (सितंबर 2011) आर.एस.के. ने जिलों को पहली किस्त के रूप में कार्य लागत का 40 प्रतिशत तक, दूसरी किस्त के रूप में 70 प्रतिशत तक, तीसरी किस्त के रूप में 90 प्रतिशत तक और अंतिम किस्त की राशि, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात जोकि कार्य के वास्तविक मूल्यांकन तक सीमित हो, जारी करने को निर्देशित किया था।

नमूना जांच किए गए डी.पी.सी. में लेखापरीक्षा को प्रस्तुत जानकारी एवं अभिलेखों की जांच से परिलक्षित हुआ कि आठ जिलों[1] के 39 ब्लॉको में 2005–06 से 2012–13 के दौरान 799 कार्य स्वीकृत किए गए थे। 723 कार्यों के लिए कुल राशि ₹ 18.93 करोड़ जारी की गई थी। विकास खण्ड धर्मपुरी, धार के सात कार्यों के लिए और दो विकास खण्ड पीपलोदा और सैलाना, रतलाम के 69 कार्यो के लिए जारी की गई राशि की जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। 799 कार्यों में से, 701 कार्य अपूर्ण थे, 96 कार्य प्रारंभ नहीं हुए थे और दो कार्य पूर्ण हुए थे।

544 अपूर्ण कार्यो की कुल मूल्यांकन राशि ₹ 10.17 करोड़ के विरूद्ध ग्राम पंचायतों ने अपने संबंधित बैंक खातों से ₹ 17.18 करोड़ की राशि आहरित की थी। संबंधित डी.पी.सी. द्वारा की गई गणना के अनुसार निर्माण एजेंसियों से ब्याज सहित वसूली योग्य राशि ₹ 7.49 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, दो विकास खण्ड–पीपलोदा और सैलाना, रतलाम के निर्माण एजेंसियों से 112 अपूर्ण कार्यों के लिए ब्याज सहित वसूली योग्य राशि ₹ 3.22 करोड़ थी। इस प्रकार, निर्माण एजेंसियों से कुल वसूली योग्य राशि ₹ 10.71 करोड़ थी।

विभाग ने दो जिलों झाबुआ और रतलाम में, निर्माण एजेंसियों के विरूद्ध, 97 निर्माण कार्यों के लिए प्रकरण दर्ज किए थे और जिला झाबुआ में छह प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराए गए थे।

यह इंगित करता है कि पूर्व किस्तों द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के मूल्यांकन को सुनिश्चित किए बिना ही डी.पी.सी. द्वारा उत्तरवर्ती किस्तें निर्माण एजेंसियों को जारी कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यो से अधिक आहरण हुआ। इस प्रकार, डी.पी.सी. द्वारा पर्यवेक्षण और निगरानी में कमी और आर.एस.के. के अनुदेशों का पालन न करने के कारण निर्माण एजेंसियों द्वारा अधिक आहरण हुआ।

[1] बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ और रतलाम।

डी.पी.सी. ने बताया कि निर्माण एजेंसियों से राशि वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि अधिक राशि आहरित करने वाले निर्माण एजेंसियों से वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी और अपूर्ण कार्य एजेंसियों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे।

5.2.4 आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं किए गए

पी.ए.बी. ने वर्ष 2010–11 में राज्य के लिए पॉच[2] आवासीय विद्यालय अनुमोदित किए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि जिला भोपाल के लिए अनुमोदित आवासीय विद्यालय स्थापित नहीं किया गया था और आवासीय विद्यालय के स्थान पर बेघर बच्चों, अनाथ और वयस्क संरक्षण विहीन इत्यादि बच्चों के लिए एक आवासीय छात्रावास खोला गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने भोपाल में आवासीय विद्यालय न खोले जाने के कारणों से अवगत नहीं कराया।

5.2.5 निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया था।

सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क की कंड़िका 6.10.2 विनिर्दिष्ट करती है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिशिचित करने के लिए, निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का तृतीय पक्ष मूल्यांकन द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य है। पी.ए.बी. की 162वीं (अप्रैल 2011) और 177वीं (मार्च 2012) बैठक में राज्य ने निर्माण कार्य का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराने हेतु वचन दिया था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नमूना जॉच किए गए चार जिलों भोपाल, बुरहानपुर, इंदौर और मुरैना में 2013–16 के दौरान निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि दस में से आठ संभागों के लिए निविदा प्राप्त हुई थी और वर्ष 2011–13 के कार्यों के लिए सात संभागों के लिए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए अनुबंध किए गए थे । वर्ष 2013–16 के लिए कार्यों की कम संख्या और बड़ी संख्या में छोटे कार्यों के होने के कारण तृतीय पक्ष मूल्यांकन व्यवहारिक नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तृतीय पक्ष मूल्यांकन अनिवार्य था और तृतीय पक्ष मूल्यांकन करवाने के लिए कार्य के आकार या संख्या का कोई मानदंड नहीं था।

5.2.6 रिक्त विद्यालय भवन उपयोग में न लेना

स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया (सितंबर 2013) था कि विद्यालय जो कि एक ही परिसर में स्थित है या प्राथमिक विद्यालय जिनमें नामांकन 20 से कम है और उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनमें नामांकन दस से कम है, उन्हें पास के विद्यालयों के साथ विलय किया जाना था।

नमूना जॉच किए गए पॉच जिलों बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, दतिया और इंदौर में युक्ति–युक्तकरण के कारण 282 विद्यालयों के विलय किए गए थे और ऐसे विद्यालयो के विलयन के कारण 235 विद्यालय रिक्त हुए थे। जिनमें से, दो जिलें भोपाल और दतिया में 118 भवनों का मूल्य ₹ 12.02 करोड़ था। तथापि, रिक्त हुए विद्यालय भवनों को उपयोग में नहीं लिया गया। डी.पी.सी. ने रिक्त हुये भवनों के उपयोग के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि जिलों को रिक्त हुये भवनों के उपयोग के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

[2] भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर और उज्जैन।

5.3 प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 29 (1) यह विनिर्दिष्ट करती है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठयक्रम और उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले शिक्षा प्राधिकारी द्वारा अधिकथित की जाएगी। आर.टी.ई. अधिनियम आगे, बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन (सी.सी.ई) के लिए पाठ्यक्रम को अधिकथित करने का प्रावधान करती है। राज्य सरकार ने राज्य शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद को इस उददेश्य के लिए, शैक्षणिक प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया (जुलाई 2010)। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (जनवरी 2012) के अनुसार, समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी को राष्ट्रीय पाठयक्रम ढाँचा (एन. सी.एफ.) 2005 के 'छात्र केंद्रित सिंद्वात' का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि, वर्ष 2012–15 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्य–पुस्तकों की समीक्षा एन.सी.एफ. 2005 के आधार पर डेस्क विश्लेषण द्वारा की गई थी। तथापि, भाषा और सामाजिक विज्ञान के विषयों पर डेस्क विश्लेषण के सुझावों को शामिल करने का अनुमोदन क्रमशः अगस्त 2016 और नवंबर 2016 में ही लिया गया था। कक्षा एक से आठ के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, कार्य शिक्षा और कला शिक्षा का पाठयक्रम फरवरी 2016 में अनुमोदित हुआ था। शेष विषयों गणित, पर्यावरण विज्ञान और विज्ञान के लिए, वर्ष 2017–18 के दौरान, एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों को चरणबद्ध तरीके से अपनाने का निर्णय लिया गया था।

आगे, संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सी.सी.ई. पैटर्न के तहत कक्षा एक से आठ के छात्रों के मूल्यांकन के लिए, विभाग ने नए दिशानिर्देशों (जुलाई 2011) जारी किए थे। नए दिशानिर्देश सभी निजी और शासकीय विद्यालयों पर लागू होने थे। सी.सी.ई. को ज्यादा व्यावहारिक और गुणात्मक बनाने के लिए, वर्ष 2013–14 में सी.सी.ई. अग्रगामी परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) की शुरूआत की गई थी, जिसके लिए वर्ष 2013–14 के दौरान 116 चयनित विद्यालयों में और 2014–15 के दौरान 118 चयनित विद्यालयों में फील्ड ट्रायल किया गया था। तथापि, सी.सी.ई. अग्रगामी परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) के अंतर्गत प्राप्त परिणाम के आधार पर विकसित नए सी.सी.ई. दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

आर.एस.के. ने (जुलाई 2016) बताया कि मूल्यांकन दिशानिर्देश 2010–11 में क्रियान्वित किए गए थे और 2011–12 में मुद्रित हुए थे। नए सी.सी.ई. दिशानिर्देश अंतिमीकरण स्तर पर थे और परीक्षा समिति के अनुमोदन के बाद क्रियान्वित कर दिए जाएंगे। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में सी.सी.ई. क्रियान्वित कर दिया गया था।

तथ्य यह है कि आर.टी.ई. अधिनियम के क्रियान्वयन के छह वर्ष के बाद भी, पाठ्यक्रम के सुधार/समीक्षा, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था पूर्ण नहीं की गई थी। आगे, नए सी.सी.ई. दिशानिर्देश का कार्यान्वयन अभी भी प्रकियाधीन था।

5.4 अध्ययन वृद्धि उपकरण

5.4.1 निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण

सर्व शिक्षा अभियान नियमावली के अनुसार, शासकीय विद्यालयों/स्थानीय निकायों के कक्षा एक से आठ के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें दी जाएंगी। डी.पी.सी. से पुस्तकों की मांग प्राप्त होने के बाद आर.एस.के. ने एम.पी. पाठ्य–पुस्तक निगम, भोपाल को जिलों को पुस्तकों की आपूर्ति करने का आदेश दिया था।

पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति में कमी और देरी के कारण, शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

आर.एस.के. के अभिलेखों की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2010–16 के दौरान आर.एस.के. द्वारा 26.49 करोड़ पुस्तकों की आपूर्ति के आदेश के विरूद्ध जिलों को 42.88 लाख कम पुस्तकों की आपूर्ति की गई थी। तथापि, आर.एस.के. ने पुस्तकों की कम आपूर्ति के कारण का विश्लेषण नहीं किया। जिले, जिन्हें निगम द्वारा पुस्तकें प्रदान नहीं की गई थी, उन्होंने शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के बाद अतिरिक्त मांग रखी। इसके कारण बच्चों को पुस्तक वितरण करने में विलंब हुआ, जिसने शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

नमूना जाँच किए गए जिलों में, यह पाया गया कि दो जिलों[3] में वर्ष 2013–16 के दौरान 0.94 लाख पुस्तकें बच्चों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी। पॉच[4] जिलों में, 5.36 लाख पुस्तकें और 49,025 कार्य आधारित अध्ययन किट, शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के बाद जुलाई और नवम्बर के मध्य बाटी गई थी।

डी.पी.सी. ने बताया कि विलंबित वितरण म.प्र. पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा देरी से की गई पुस्तकों की आपूर्ति के कारण था। निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि ए.बी.एल. किट का मुद्रण, पाठ्य–पुस्तक के मुद्रण के बाद किया गया था और वर्ष 2016–17 में समय से आपूर्ति सुनिश्चित की गई थी।

5.4.2 निःशुल्क गणवेश वितरण

आर.एस.के. द्वारा निर्देशित (जून 2011) किया गया था कि शासकीय विद्यालयों में नामांकित सभी श्रेणियों के बालक और बालिकाओं को प्रत्येक वर्ष दो जोडी गणवेश की लागत (₹ 400) की सहायता प्रदान की जाएगी। वर्ष 2013–14 तक सहायता की राशि जिला शिक्षा केन्द्र से एस.एम.सी. को अंतरित की गई थी और वर्ष 2014–15 से एस. एम.सी. को आर.एस.के. द्वारा राशि अंतरित की गई थी। गरीबी की रेखा के ऊपर (ए.पी. एल.) छात्रों को छोड़कर, समस्त विद्यार्थियों के लिए सहायता राशि का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान निधि से किया गया था और ए.पी.एल. छात्रों की सहायता राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। सहायता राशि छात्रों को जून माह तक जारी की जानी थी। विद्यार्थियों से वाउचर एकत्रित किए जाने थे और व्यय प्रमाण पत्र आर. एस.के. को भेजे जाने थे। वर्ष 2011–16 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें गणवेश के लिए सहायता राशि प्रदान की गई थी, **तालिका 5.4** में दर्शित है।

तालिका 5.4: शासकीय विद्यालयों में गणवेश के लिए सहायता के अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों का वर्षवार विवरण

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	नामांकित छात्रों की संख्या	लाभान्वित छात्रों की संख्या
2011–12	101.38	100.41
2012–13	98.76	98.03
2013–14	93.52	94.06 *
2014–15	86.56	86.55
2015–16	78.96	78.95
योग	**459.18**	**458.00**

(स्रोतःआर.एस.के. द्वारा प्रदाय जानकारी) *विगत वर्ष वंचित बच्चे शामिल

[3] बालाघाट 66,474 (2013–16) और रतलाम 27,636 पाठ्यपुस्तक (2014–15)।

[4] बालाघाट 28,963(2013–15), भोपाल 25,330(2013–14 और 2015–16), 49,025 ए.बी.एल. किट(2015–16), बुरहानपुर 2,54,764 (2013–16), दतिया 1,48,770 (2013–16) और इंदौर 77,908 (2015–16)।

आर.एस.के. के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुए :

गणवेश के लिए समयोचित सहायता जारी करना सुनिश्चित नहीं किया गया था।

- वर्ष 2011–16 के दौरान, 1.18 लाख विद्यार्थियों को आर.एस.के. द्वारा गणवेश प्रदान करने हेतु शामिल नहीं किया गया था। आगे, वर्ष 2014–16 के दौरान, 165.52 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹ 662.08 करोड़ जारी किए जाने थे। तथापि, आर.एस.के. ने 169.44 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹ 677.77 करोड़ जारी किए, परिणामस्वरूप ₹ 15.69 करोड़ अधिक जारी हुए, जिसकी वजह से एस.एम.सी. स्तर पर बड़ी मात्रा में असमायोजित अग्रिम जमा हुआ, जिसकी कंडिका 2.1.1. में चर्चा की गई है।

- आर.एस.के. ने पी.ए.बी. बैठक में बताया कि गणवेश शैक्षणिक सत्र के आरंभ में प्रदान की गई थी। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि विभाग ने एस.एम.सी. को समय से निधि जारी करना सुनिश्चित नहीं किया। शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए, आर.एस.के. ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, विभिन्न अवसरों पर मार्च 2015 तक, 1.18 लाख विद्यार्थियों की गणवेश के लिए एस.एम.सी. के खातों में ₹ 4.72 करोड़ जमा किए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2015–16 के दौरान, सर्व शिक्षा अभियान निधि से 5.64 लाख विद्यार्थियों के लिए ₹ 22.56 करोड़ पाँच महीने की देरी से जारी किए गए थे।

आगे, आर.एस.के. ने शैक्षणिक सत्र 2013–14 के प्रारंभ के पश्चात् 14.20 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 56.82 करोड़ जारी किए थे। शैक्षणिक सत्र 2014–15 के लिए, 1.38 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 5.52 करोड़ और 5.08 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 20.31 करोड़, बजट की अनुपलब्धता के कारण क्रमशः मार्च 2015 और जनवरी 2016 में जारी किए गए थे। वर्ष 2015–16 में, 2.06 लाख ए.पी.एल. विद्यार्थियों के लिए ₹ 8.23 करोड़ पाच महीने की देरी से जारी किए गए थे।

नमूना जाँच किए गए आठ[5] जिलों में, वर्ष 2013–16 के दौरान गणवेश गई के लिए सहायता की राशि ₹ 27.82 करोड़ एक से 19 महीने की देरी से जारी की गई थी। 19 महीने की अधिकतम देरी जिला धार में पाई गई। नमूना जाँच किए गए दो[6] जिले भोपाल और इंदौर में, वर्ष 2013–14 में, 35,528 विद्यार्थियों को निधियों की उपलब्धता के बावजूद, गणवेश के लिए ₹1.42 करोड़ की सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिला धार में वर्ष 2013–14 में, 8,500 विद्यार्थियों की निधियों के अभाव में गणवेश के लिए ₹ 34 लाख का भुगतान नहीं किया गया था।

- विद्यार्थियों को गणवेश की सहायता राशि के वास्तविक भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए, वाउचर एकत्रित कर वितरण प्रमाण पत्र अपेक्षित था। तथापि, यह वितरण प्रमाण पत्र एस.एम.सी. से डी.पी.सी. को प्राप्त नहीं हुआ था और आर.एस.के. को नहीं भेजा गया था।

- ए.डब्ल्यू.पी.एण्ड बी. 2013–14 अनुमोदित करते समय, पी.ए.बी., छात्रों को गणवेश के लिए नगद अंतरण करने के राज्य के प्रस्ताव से सहमत नहीं था, क्योंकि आर.टी.ई. एस.एस.ए प्रोग्राम के कार्यान्वयन फ्रेमवर्क के अनुसार गणवेश की अधिप्राप्ति एवं विद्यार्थियों को वितरण एस.एम.सी. के माध्यम से की जाएगी। पी.ए.बी. ने विगत वर्ष के छात्रों जिन्हें राज्य द्वारा शामिल नहीं किया गया था, को शामिल करते हुए गणवेश के लिए ₹ 328.09 करोड़ का परिव्यय इस शर्त के साथ अनुमोदित किया था कि

---

5 बालाघाट (₹ 3.47 करोड़), भोपाल (₹ 2.02 करोड़), बुरहानपुर (₹ 2.83 करोड़), दतिया (₹ 2.52 करोड़), धार (₹ 6.16 करोड़), इंदौर (₹ 2.54 करोड़), झाबुआ (₹ 3.04 करोड़) और रतलाम (₹ 5.24 करोड़)

6 भोपाल (14,118 छात्र, ₹ 56.47 लाख) और इंदौर (21,410 छात्र, ₹ 85.64 लाख)

अधिप्राप्ति पूर्णतः आर.टी.ई.–एस.एस.ए. मानदण्डों के अनुसार की जाएगी। तथापि, एस. एम.सी. माध्यम से गणवेश के वितरण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि ए.पी.एल. छात्रों के लिए वर्ष 2014–15 के लिये गणवेश हेतु निधियॉ राज्य योजना के अंतर्गत निधि की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2015–16 में जारी की गई थी। विभाग ने आगे बताया कि गणवेश के लिए निधियॉ, विगत वर्ष के 80 प्रतिशत नामांकन के आधार पर जून के महीने में जारी की गई थी और शेष राशि, शिक्षा पोर्टल पर नामांकन की स्थिति की समीक्षा के पश्चात सितंबर में जारी की गई थी।

तथ्य यह है कि, देर से निधियॉ जारी होने के कारण विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए समय से सहायता प्रदान नहीं की गई थी। इसके अलावा छात्रों को गणवेश के लिए नगद अंतरण, आर.टी.ई.–एस.एस.ए. मान के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त वितरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करने में आर.एस.के. की विफलता के कारण, गणवेश के वास्तविक क्रय को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

5.4.3 कम्प्यूटर आधारित शिक्षा

5.4.3.1 हेड स्टार्ट कार्यक्रम

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर को समाप्त करने के लिए विभाग ने, कम्प्यूटर आधारित शिक्षा के लिए हेड स्टार्ट कार्यक्रम की शुरूआत की थी (नवम्बर 2000)। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, क्लस्टर स्तर पर चयनित विद्यालयों में कंप्यूटर केंद्र स्थापित किए गए थे। हेड स्टार्ट केंद्र का एक प्रशिक्षित शिक्षक, हेड स्टार्ट समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था और विकास खण्ड स्तर पर, प्रत्येक विकास खण्ड का विकास खण्ड समन्वयक, हेड स्टार्ट विकास खण्ड समन्वयक था। लिंक्ड विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार हेड स्टार्ट केन्द्र का लाभ मिलना था।

नमूना जॉंच किए गए जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित बातें परिलक्षित हुई :

- नौ[7] जिलों में 795 केन्द्रों में 5,106 कंप्यूटर और वाहय उपकरणों में से, 2,454 उपकरण क्रियाशील नहीं थे । आगे, दस जिलों[8] में 270 केंद्र क्रियाशील नहीं थे, इनमें से छह जिलों[9] में 64 केंद्रों में विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिलों ने केंद्रों को क्रियाशील बनाने के लिए, केन्द्रों के वार्षिक रख–रखाव के लिए निधि की मांग नहीं की।

- छह जिलों[10] में 72 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नए केंद्रों के लिए प्लेटफार्म तैयार करने के लिए ₹ 36.00 लाख जारी किए गए थे और तीन जिलों[11] में 32 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुराने केंद्रों के उन्नयन के लिए ₹ 3.20 लाख जारी किए गए थे। इन विद्यालयों को जितने कम्प्यूटरों की आवश्यकता थी, उतनी आर.एस.के. द्वारा आपूर्ति नहीं की गई थी। प्लेटफार्म को तैयार करने और उचित अर्थिंग, जो कि कंप्यूटर कक्ष के लिए अनिवार्य थी का प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित डी.पी.सी. के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, विशिष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था।

---

[7] बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाडा, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ और रतलाम।

[8] बालाघाट, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर, झाबुआ, पन्ना, रतलाम, शहडोल और सिंगरौली।

[9] बालाघाट, भोपाल, दतिया, धार, इंदौर और झाबुआ।

[10] बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और रतलाम।

[11] बालाघाट, धार और रतलाम।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि 2012–13 से भारत सरकार से निधियों के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हेड स्टार्ट केन्द्र उपयुक्त रूप से कार्यशील नहीं थे। कंप्यूटर उपकरणों का अपर्याप्त रख–रखाव निधियों की अनुपलब्धता के कारण था। योजना के ढांचे में परिवर्तन के कारण, कंप्यूटर लैब की स्थापना अपूर्ण थी।

इस प्रकार, कंप्यूटरों के रख–रखाव के लिए निधि प्रदान करने में विभाग की असफलता के कारण, ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के हेड स्टार्ट कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

5.4.3.2 कंप्यूटर एडेड लर्निंग

222वीं पी.ए.बी. बैठक (मार्च 2015) में उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित के शिक्षण के साथ कंप्यूटर एडेड लर्निंग (सी.ए.एल.) को जोडने और एन.सी.ई.आर.टी. के परामर्श के साथ विज्ञान और गणित किट की अधिप्राप्ति/विकसित करने की राज्य की प्रतिबद्धता थी। राज्य सरकार ने नई स्मार्ट क्लासरूम और शिक्षकों की योग्यता वर्धन के लिए प्रावधान प्रस्तावित किया था। पी.ए.बी. ने 3,153 विद्यालयों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग और 644 शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ₹ 22.14 करोड़ की लागत का प्रस्ताव अनुमोदित किया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि निधियों के अभाव के कारण, सी.ए.एल. को विज्ञान और गणित के शिक्षण से जोड़ने और विज्ञान तथा गणित किट की अधिप्राप्ति की कार्यवाही नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि कंप्यूटर अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटलीकरण के पश्चात, विज्ञान, गणित और भाषा विषय की पुस्तकें पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थीं।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में नहीं था क्योंकि विभाग ने नई स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराने और शिक्षकों की योग्यता वर्धन के लिए अनुमोदित प्रस्ताव के संदर्भ में प्राप्त की गई/उपलब्धि के बारे में सूचित नहीं किया था।

5.4.4 आदिवासी बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री

ए.डब्ल्यू. पी. एण्ड बी. 2014–15 में, पी.ए.बी. ने राज्य को ऐसे वसाहटें (hamlets) जहाँ 90 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या हो की पहचान करने, और आदिवासी बच्चों के लिए पुस्तकें एवं अन्य अध्ययन सामग्री विकसित करने की सलाह दी थी। आदिवासी बच्चों को पढाने के लिए प्रशिक्षण माड्यूल राज्य द्वारा विकसित किया जाना था। लेखापरीक्षा प्रश्न के जवाब में, आर.एस.के. ने सूचित किया (अगस्त 2016) कि जिला मंडला और डिंडौरी, प्रत्येक के 15 विद्यालयों में, इन जिलों की भाषा गौड़ी और बैगा की दस पुस्तकों का चयन कर के अग्रगामी अध्ययन (Pilot study) की गई थी। कक्षा I और II की पाठ्य पुस्तक का गौड़ी और बैगा भाषा में अनुवाद और प्रशिक्षण माड्यूल का विकास प्रक्रिया में था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान, विभाग ने बताया कि जिला मंडला और डिंडौरी के आदिवासी छात्रों के लिए बैगा और गौड़ी भाषा में द्विभाषी अध्ययन उपकरण तैयार कर लिए गए थे।

तथ्य यह है कि आदिवासी छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में कोई प्रगति नहीं थी।

5.5 राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एस.एल.ए.एस.)

वर्ष 2013–14 में किए गए राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण में राज्य का औसत उपलब्धि प्रतिशत गणित में 63.32 प्रतिशत और हिंदी में 62.56 प्रतिशत था।

मूल्यांकन सर्वेक्षण विद्यार्थियों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श के मध्य, अध्ययन का एक माध्यम प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में, छात्रों की क्षमता के अनुसार, विशिष्ट ग्रेड स्तर पर, छात्रों के वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करता हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा में परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2013–14 में, कक्षा तीन के छात्रों के लिए हिन्दी और गणित विषय में प्रत्येक जिलों के 60 प्राथमिक विद्यालयो के प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर राज्य स्तरीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एस.एल.ए.एस.) किया गया था। राज्य स्तर पर औसत उपलब्धि, गणित में 63.32 प्रतिशत और हिन्दी भाषा में 62.56 प्रतिशत थी। जिलों का प्रदर्शन क्रमशः **चार्ट 5.2** और **चार्ट 5.3** में दर्शित है :–

चार्ट 5.2: गणित में जिलों की उपलब्धि

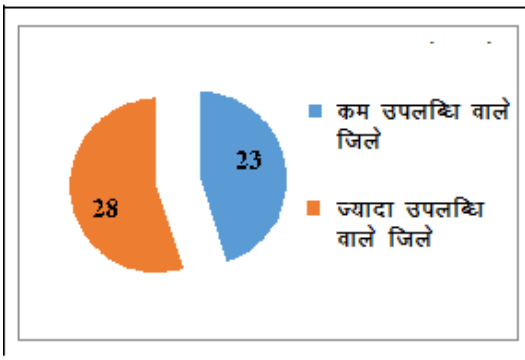

चार्ट 5.3: भाषा में जिलों की उपलब्धि

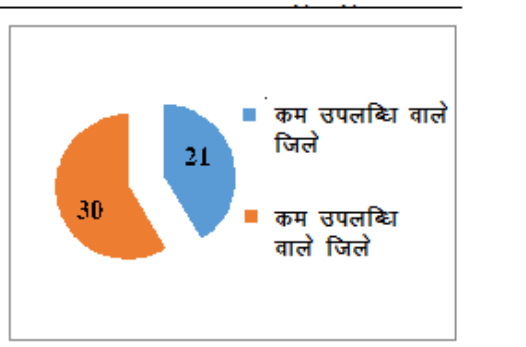

(स्रोतः– आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

पी.ए.बी. बैठक (फरवरी 2014) में राज्य, प्रतिबद्व हुआ कि ग्रेड II और ग्रेड V के अंत में, 70 प्रतिशत छात्र एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा निर्धारित अध्ययन परिणामों को हासिल करेंग। इसके अतिरिक्त, ग्रेड VIII के अंत में, 70 प्रतिशत छात्र गणित और विज्ञान के निर्धारित परिणाम हासिल करेंगे। वर्ष 2014–15 में एस.एल.ए.एस. आयोजित नहीं किया गया था। वर्ष 2015–16 में प्रत्येंक जिलों के 30 प्राथमिक विद्यालयों एवं 30 उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा तीन, पॉच और आठ प्रत्येंक में 30 विद्यार्थियों का एस.एल.ए. एस. आयोजित किया गया था। एस.एल.ए.एस. प्रतिवेदन के परिणाम को नवंबर, 2016 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि वर्ष 2015–16 में किए गए एस.एल.ए.एस. का प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था।

5.6 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एन.सी.ई.आर.टी.) ने वर्ष 2013 में कक्षा तीन के लिए (साइकिल 3) राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन.ए.एस.) किया था। एन.ए.एस. प्रतिवेदन के अनुसार, राज्य में कक्षा तीन के छात्र, भाषा विषय के 58 प्रतिशत और गणित के 64 प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर सही से देने में सक्षम थे। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का प्रदर्शन भाषा और गणित दोनों ही में राष्ट्रीय औसत से काफी कम था, जैसा कि **तालिका 5.5** में दर्शित है।

तालिका 5.5:– भाषा और गणित विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन

(आंकड़े संख्या में)

प्रदर्शन	भाषा		गणित	
	राष्ट्रीय औसत	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय औसत	मध्य प्रदेश
औसत स्कोर	257	239	252	243
प्रदर्शन प्रतिशत	64	58	66	64

(स्रोतः– राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण)

विभिन्न योग्यताओं में, राष्ट्रीय औसत की तुलना में, मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का प्रतिशत **चार्ट 5.4** में दर्शित है :–

चार्ट 5.4: भाषा एवं गणित में योग्यतावार उपलब्धि

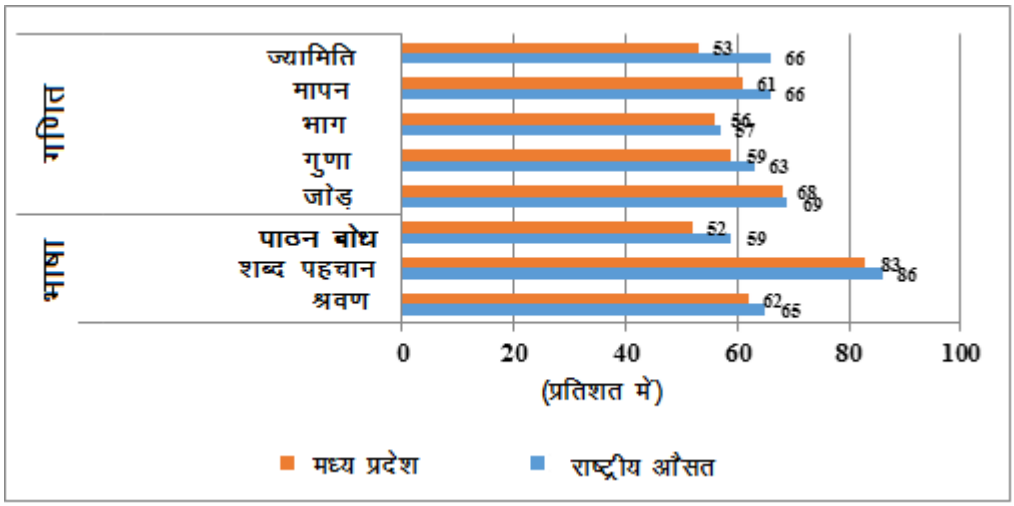

इस प्रकार, सुनने, शब्द पहचानने और समझ के पढने में विद्यार्थियों का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम था। अधिकांश गणितीय योग्यताओं में, राष्ट्रीय औसत से विद्यार्थियों का प्रदर्शन कम था।

5.7 प्रतिभा पर्वः गुणवत्ता सुधार के लिए एक पहल

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 24 के अनुसार शिक्षकों का यह कर्तव्य है कि पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण करें और अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक छात्र की अध्ययन क्षमता का आंकलन करें। विभाग ने वर्ष 2011–12 में प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रतिभा पर्व कार्यक्रम की शुरूआत की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धियों का आंकलन और मूल्यांकन करना, मौजूदा सुविधाओं के संदर्भ में विद्यालय का प्रोफाइल तैयार करना और गुणात्मक शिक्षण, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया (Teaching Learning Process) प्रदान करना था। विभाग ने विद्यार्थियों और विद्यालयों के उपलब्धियों का मूल्यांकन किया और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इन्हें अ,ब,स,द और ई ग्रेड में श्रेणीबद्ध किया।

आर.एस.के. द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और जानकारी की संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि 2013–16 के दौरान, कक्षा एक से आठ के 84 प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिभा पर्व में उपस्थित हुए थे। वर्ष 2010–11 से 2012–13 की जानकारी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान, राज्य स्तर पर प्रतिभा पर्व के माध्यम से किए गए मूल्यांकन का परिणाम **तालिका 5.6**, **चार्ट 5.5** और **चार्ट 5.6** में दर्शित है।

राज्य शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ था, वर्ष 2013–16 के दौरान ग्रेड अ और ग्रेड ब के विद्यार्थियों में निरंतर गिरावट आई।

तालिका 5.6 : विभिन्न ग्रेड्स में विद्यार्थियों और विद्यालयों का प्रदर्शन

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	विभिन्न ग्रेड में विद्यार्थियों का प्रतिशत					विभिन्न ग्रेड में विद्यालयों का प्रतिशत				
	अ	ब	स	द	ई	अ	ब	स	द	ई
2013–14	26.95	34.53	24.74	6.04	7.74	23	43	25	6	3
2014–15	26	34	25	6	8	24	44	24.4	5.3	1.6
2015–16	24	33	35	6	3	22	53	22	3	1

(स्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

चार्ट 5.5: प्रतिभा पर्व 2015–16 में विद्यार्थीवार ग्रेडिंग

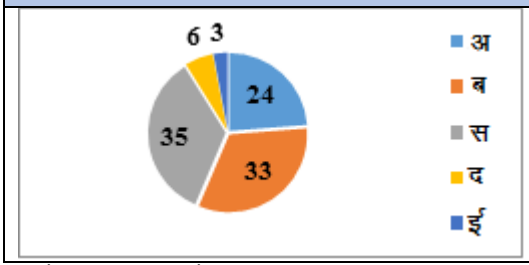

चार्ट 5.6: प्रतिभा पर्व 2015–16 में विद्यालयवार ग्रेडिंग

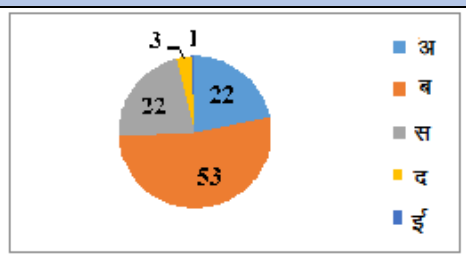

(स्रोतः आर.एस.के. द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

इस प्रकार, ग्रेड़ अ, ब और ई के विद्यार्थियों का प्रतिशत कम हुआ और ग्रेड़ स के विद्यार्थियों का प्रतिशत वर्ष 2013–14 की तुलना में वर्ष 2015–16 में बढ़ा। वर्ष 2013–16 के दौरान ग्रेड़ द के विद्यार्थियों का प्रतिशत (छह प्रतिशत) समान था। यह दर्शाता है कि शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ था क्योंकि ग्रेड़ अ और ग्रेड़ ब के विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हुई थी।

नमूना जांच किए गए 283 विद्यालयों में किए गए संयुक्त हितग्राही सर्वेक्षण के दौरान (1,274 विद्यार्थी और 1,007 माता–पिता) क्रमशः 18 और 29 प्रतिशत छात्रों ने कहा कि वे क्रमशः गणित और अंग्रेजी विषय में कमजोर थे और 66 प्रतिशत विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही थी। आगे, 71 प्रतिशत माता–पिता ने भी कहा कि उनके बच्चों को विद्यालय से अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

प्रतिभा पर्व कार्यक्रम में, वर्ष 2014–15 और 2015–16 के दौरान क्रमशः 603 और 1,695 शासकीय विद्यालय शामिल नहीं किए गए थे। वर्ष 2013–14 की तुलना में, वर्ष 2015–16 में ग्रेड़ द में विद्यालयों का प्रतिशत छह प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक कम हो गए थे और ग्रेड़ ई विद्यालय तीन से एक प्रतिशत तक कम हो गए थे। हालाकि, ग्रेड़ अ विद्यालय, एक प्रतिशत से कम हुए थे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि जिलाधीश को विशेष कक्षाओं के आयोजन द्वारा दी गई शैक्षणिक सहायता के अनुवर्तन अनुदेश जारी किए गए थे। आगे, विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रदान की गई शैक्षणिक सहायता को अभिलिखित करने के अनुदेश जारी किए जाएंगे।

तथ्य यह है कि अतिरिक्त शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए आर.टी.ई. अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। जैसा कि प्रतिभा पर्व के परिणामों से स्पष्ट है कि राज्य में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु, श्रेणी 'अ' के प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगे और उपाय करने की आवश्यकता थी।

5.8 बेसलाईन और एण्डलाईन टेस्ट

सत्र 2016–17 के प्रारंभ में, विद्यार्थियों की बुनियादी योग्यताओं की स्थिति से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए विभाग द्वारा जुलाई 2016 में बेसलाईन टेस्ट का आयोजन किया गया था। बेसलाईन टेस्ट के बाद, सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में एक महीने के लिए सुधार कक्षाएं आयोजित की गई थीं। तत्पश्चात, बुनियादी योग्यताओं में सुधार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने के लिए अगस्त, 2016 के महीने में एंडलाईन टेस्ट किया गया था। एंडलाईन टेस्ट में राज्य रिपोर्ट कार्ड, ***परिशिष्ट 5.5*** में दर्शित है, जिससे निम्नलिखित परिलक्षित हुआ :

- **कक्षा पांच में विद्यार्थियों की प्रवीणता**– भाषा परीक्षा में, 17 प्रतिशत छात्र मात्र हिन्दी वर्णमाला की पहचान कर सकते थे और उन्हें शब्दों को पढ़ने/लिखने में परेशानी थी। तथापि, 25 प्रतिशत छात्र हिन्दी शब्द पढ/लिख सकते थे। इसके अलावा, 23 प्रतिशत छात्र मात्र अंक (1–9) पहचान सकते थे एवं 13 प्रतिशत छात्र अंक (1–9) भी नहीं पहचान सकते थे। अंग्रेजी में, 24 प्रतिशत छात्र शब्द पढ़/लिख सकते थे।

- **कक्षा आठ में विद्यार्थियों की प्रवीणता**– भाषा परीक्षा में, 10 प्रतिशत छात्र मात्र हिन्दी वर्णमाला पहचानने के स्तर पर थे और 49 प्रतिशत छात्र हिन्दी कहानियां पढ़/लिख सकते थे। गणित में, 16 प्रतिशत छात्र मात्र अंक (1–9) पहचान सकते थे और 21 प्रतिशत छात्र मापन नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त, 28 प्रतिशत छात्र अंग्रेजी में सामान्य वाक्य पढ़/लिख सकते थे।

इस प्रकार, शासकीय विद्यालयों में, प्रारंभिक शिक्षा में प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की थी क्योंकि ज्यादातर छात्र पढ़, लिख या शब्द पहचान नहीं कर सकते थे और उनमें आयु के हिसाब से गणितीय योग्यता भी नहीं थी।

5.9 प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना

आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 30 यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी किए जाने तक कोई भी बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे, प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश आर.टी.ई. नियम का नियम 19 यह प्रावधान करता है कि स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, निर्धारित प्रपत्र में, प्रांरभिक शिक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर बच्चों को प्रांरभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी करेगा।

प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से परिलक्षित हुआ कि नमूना जांच किए गए 199 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से मात्र 28 विद्यालयों ने 6,447 विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण–पत्र जारी किया था। इस प्रकार, शेष 153 विद्यालयों के 39,148 विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने के लिए प्रमाण–पत्र प्रदान नहीं किया गया था जो कि आर.टी.ई. अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित था। इन विद्यालयों के प्रधान अध्ययापक ने बताया कि विद्यार्थियों को मात्र मार्कशीट जारी की गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2016) के दौरान विभाग ने बताया कि प्रावधान के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए जाएंगे।

5.10 अनुशंसाऐं

- विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निर्माण कार्यों का निर्माण शीघ्रता से किया जाना चाहिए। कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

- विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक प्रभावशाली अध्ययन वातावरण के लिए समस्त विद्यालय अधोसंरचना मान का अवश्य पालन करे।

- नए खोले गए एवं अद्यतन किए गए विद्यालयों में पर्याप्त कक्षाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि विद्यालयों को शिफ्ट या बहुश्रेणी कक्षाओं में चलाने से बचाया जा सके।

विभाग ने बताया (नवम्बर 2016) कि अधोसंरचना का निर्माण, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों पर निर्भर था। विभाग ने आगे बताया कि यह मुद्दा पूर्व में भी उठाया गया था और आगामी प्रस्तावों में भी उठाया जाएगा।

- विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी शासकीय विद्यालय, विद्यार्थियों को लेने के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित हों, ताकि उनके पास निजी विद्यालयों में जाने का एकमात्र विकल्प न हो।

- प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों के अध्ययन स्तर में सुधार करने के लिए विभाग को नियमित रूप से प्रयास करते रहना चाहिए।

- आदिवासी छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाने चाहिए और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित पढ़ाई के साथ कंप्यूटर एडेड लर्निंग को जोड़ने को आरंभ किया जाना चाहिए।